**पत्र सं0–12/निजी–70141/2023 सा0प्र0.................../**
**बिहार सरकार**
**सामान्य प्रशासन विभाग**

प्रेषक,

**राजीव रंजन दास,**
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

**महालेखाकार (ले0 एवं ह0),**
बिहार, पटना।

**प्रभारी पदाधिकारी,**
वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग,
बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांक–................../2026

**विषयः–** **श्री जयंत जायसवाल, बि0प्र0से0, को0क्र0–689/24, आप्त सचिव (सरकारी), उप नेता, सत्तारूढ़ दल, बिहार विधान परिषद, पटना के प्रभार रहित अवधि के विनियमन के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार मंत्रिपरिषद के दिनांक–19.11.2025 को विघटनोपरांत श्री जयंत जायसवाल, बि0प्र0से0, द्वारा दिनांक–19.11.2025 के पूर्वाहन में आप्त सचिव (सरकारी), उप नेता, सत्तारूढ़ दल, बिहार विधान परिषद, पटना का पद त्याग करते हुए दिनांक–19.11.2025 के पूर्वाह्न में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में अपना योगदान समर्पित किया गया।

**2.** सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–24114, दिनांक–29.12.2025 द्वारा श्री जायसवाल, बि0प्र0से0, को0क्र0–689/24 की सेवा आप्त सचिव (सरकारी), उप नेता, सत्तारूढ़ दल, बिहार विधान परिषद, पटना के पद पर पदस्थापन हेतु संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सौपी गयी। तत्पश्चात संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना सं0–28, दिनांक–08.01.2026 द्वारा श्री जायसवाल को आप्त सचिव (सरकारी), उप नेता, सत्तारूढ़ दल, बिहार विधान परिषद, पटना के पद पर पदस्थापित किया गया। उक्त अधिसूचना के आलोक में श्री जायसवाल, बि0प्र0से0 द्वारा दिनांक–09.01.2026 के पूर्वाह्न में आप्त सचिव (सरकारी), उप नेता, सत्तारूढ़ दल, बिहार विधान परिषद, पटना के पद का प्रभार ग्रहण किया गया।

**3.** इस प्रकार श्री जयंत जायसवाल, बि0प्र0से0, को0क्र0–689/24 दिनांक–19.11.2025 से दिनांक–08.01.2026 तक बिना प्रभार के रहे।

**4.** अतः श्री जयंत जायसवाल, बि0प्र0से0, को0क्र0–689/24, तत्कालीन आप्त सचिव (सरकारी), उप नेता, सत्तारूढ़ दल, बिहार विधान परिषद, पटना के दिनांक–19.11.2025 से दिनांक–08.01.2026 तक की प्रभार रहित अवधि का विनियमन निम्न रूप में किया जाता है:–

(i) दिनांक–19.11.2025 से 20.11.2025 तक, दिनांक–22.11.2025 से 30.12.2025 तक एवं दिनांक–01.01.2026 से 08.01.2026 तक–मौलिक नियमावली के नियम–9 (6)(बी)(iv), जो बिहार सेवा संहिता के नियम–14(बी) के सदृश है, के तहत पदस्थापन हेतु अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि के रूप में।

(ii) दिनांक–21.11.2025 एवं 31.12.2025 को–देय उपार्जित छुट्टी के रूप में।

(iii) उक्त अवधि में श्री जायसवाल, बि0प्र0से0 को कोटि वेतन देय होगा।

**5.** विनियमन के निर्णय में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

ह0/–
**(राजीव रंजन दास)**
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–12/निजी–70141/2023 सा0प्र0–1830 /पटना, दिनांक 27.01/2026

**प्रतिलिपिः**–सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/श्री जयंत जायसवाल, बि0प्र0से0, को0क्र0–689/24, आप्त सचिव (सरकारी), उप नेता, सत्तारूढ़ दल, बिहार विधान परिषद, पटना/आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.01.2026

सरकार के उप सचिव।